



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2009/पौष 15, 1930

No. 20]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2009/PAUSA 15, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2009

आय-कर

का.आ 20(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) और खंड (iii) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(अ) नियम 5घ में,—

(क) उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(4क) कोई वैज्ञानिक अनुसंधान संगम धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक को निम्नलिखित से युक्त एक विवरण प्रस्तुत करेगा :—

(i) पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर एक विस्तृत टिप्पण;

(ii) वर्ष के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित अनुसंधान लेखों का संक्षिप्त विवरण;

(iii) वर्ष के दौरान किसी पेटेंट या अन्य समान अधिकारों का आवेदन और उनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना;

(iv) आगामी वर्ष के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम के लिए वित्तीय आबंटन”;

(ख) उपनियम (5) की मद (ग) में “धनराशि का अपना विवरण” शब्दों के पश्चात् “या उपनियम (4क) में निर्दिष्ट विवरण,” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) नियम 5ड में,-

(क) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) कोई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक को निम्नलिखित से युक्त एक विवरण प्रस्तुत करेगा-

(i) पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर एक विस्तृत टिप्पण ;

(ii) वर्ष के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित अनुसंधान लेखों का संक्षिप्त विवरण ;

(iii) वर्ष के दौरान किसी पेटेंट या अन्य समान अधिकारों का आवेदन और उनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना ;

(iv) आगामी वर्ष के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम के लिए वित्तीय आबंटन”;

(ख) उपनियम (5) की मद (ग) में “धनराशि का अपना विवरण” शब्दों के पश्चात् “या उपनियम (4क) में निर्दिष्ट विवरण,” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

[अधिसूचना सं. 02/2009/फा. सं. 142/16/2008-टीपीएल]

आनन्द कुमार केंडिया, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में सं० का०आ० ७६९(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं० का०आ० **2959**(अ), तारीख **23-12-2008** द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।